आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-30.07.2026 को 04:00 बजे अपराह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित :-

1. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया - अध्यक्ष
2. अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया - सदस्य
3. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया - सदस्य सचिव

कार्यावली सं0- 01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक-25.06.2026 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-02

प्राधिकार की बैठक दिनांक -25.06.2026 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल-05 प्राधिकरण-पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-03

प्राधिकार की बैठक दिनांक-25.06.2026 के बाद निर्गत पीक अप भान/ट्रक के स्थाई परमिट/अस्थायी परमिट का ब्यौरा :-

(क) ट्रक/पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–04

प्राधिकार की बैठक दिनांक–25.06.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई/विशेष परमिट का ब्यौरा :-

बस/मिनी बस/सिटी राईड के कुल–261 (दिनांक 29.07.2026 तक) विशेष परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–05.

दिनांक–13.06.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट हेतु प्राप्त आवेदन की स्वीकृति पर विचारः–

उक्त तिथि के बाद बस/मिनी बस के प्राप्त कुल–28 स्थायी परमिट/नवीकरण की स्वीकृति पर विचार किया गयाः–

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुमित कुमार तिवारी	BR11PD-7994 (बस) 02-07-2026 Cap-41	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप–03 कुल दूरी–510	01-07-2028 30-09-2026 30-06-2027 01-07-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत
2	कंचन कुमारी	BR11PD-9707 (बस) 04-02-2026 Cap-41	भवानीपुर से भागलपुर कुल खेप–03 कुल दूरी–432	03-02-2028 29-07-2026 29-01-2027 03-02-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
3	वकील कुमार यादव	BR11RA-9707 (बस) 04-02-2026 Cap-41	भवानीपुर से भागलपुर कुल खेप-03 कुल दूरी-432	03-02-2028 29-07-2026 29-01-2027 03-02-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत।
4	आलोक चौधरी	BR11T-9295 (बस) 23-09-2015 Cap-43	पूर्णिया से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	05-02-2027 22-09-2026 30-08-2026 02-08-2026	परमिट सं0- BR2025-SC-1545A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-27.05. 2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शत के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।
5	बिजय यादव	BR10PA-6253 (बस) 14-02-2010 Cap-41	कटिहार से पूर्णिया कुल खेप-01 कुल दूरी-64	27-11-2026 13-08-2026 10-07-2027 03-01-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत।
6	अनील कुमार साह	BR37P-7950 (बस) 10-07-2026 Cap-41	पूर्णिया से सिंघीमारी कुल खेप-01 कुल दूरी-240	09-07-2028 08-10-2026 08-07-2027 09-07-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत।
7	अनील कुमार साह	BR37P-5880 (बस) 19-02-2025 Cap-41	पूर्णिया से तालगाछ कुल खेप-01 कुल दूरी-240	18-02-2027 17-08-2026 17-02-2027 17-05-2027	परमिट सं0- BR2025-SC-0820A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-26.03. 2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
8	प्रवेज आलम	BR37P-9601 (बस) 03-07-2026 Cap-45	पूर्णिया से तालगाछ कुल खेप-01 कुल दूरी-240	02-07-2028 28-09-2026 28-06-2027 02-07-2027	अनिल कुमार साह द्वारा आवेदक के समय-सारणी में तालगाछ से बीबीगंज के बीच 09 कि0मी0 की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेने हेतु गति सीमा का उल्लंघन संबंधी आवेदन दिया है।	श्री अनील कुमार साह का आवेदन कम गति से संबंधित है। आवेदक का तालगाछ प्रस्थान-05:05 तथा बीबीगंज आगमन-05:45 है। अतः बीबीगंज आगमन-05:33 करते हुए परमिट निर्गमण की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
9	प्रवेज आलम	BR11PC-8752 (बस) 02-09-2022 Cap-43	पूर्णिया से सिंघीमारी कुल खेप–01 कुल दूरी–240	01-09-2026 19-08-2026 04-09-2026 09-12-2026	अनिल कुमार साह द्वारा आवेदक के समय–सारणी में सिघीमारी से हरवाड़ांगा के बीच 09 कि0मी0 की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेने हेतु गतिसीमा का उल्लंधन संबंधी आवेदन दिया है।	श्री अनील कुमार साह का आवेदन कम गति से संबंधित है। आवेदक का सिंघीमारी प्रस्थान–05:45 एवं हरवाड़ागा आगमन–06:15 है। अतः हरवाड़ागा आगमन–06:03 करते हुए परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।
10	इस्तियाक आलम	BR11T-8244 (बस) 15-07-2015 Cap-43	पूर्णिया से गरबनडंगा कुल खेप–01 कुल दूरी–260	25-06-2027 07-10-2026 05-05-2027 19-10-2026	(1) परमिट सं0–BR2026-SC-0708A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–14.04.2031 है। (2) वाहन स्वामी का वर्त्तमान समय–सारणी में समय अंतराल कम रहने के कारण इसे रद्द करने तथा एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करने हेतु समय देने का अनुरोध किया है।	वाहन स्वामी के अनुरोध पर उक्त समय–सारणी को रद्द किया जाता है तथा वाहन स्वामी को एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसे एक सप्ताह के लिए कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर आपर्त्ति की मांग की जाएगी आपत्ति प्राप्त प्राप्त नहीं हाने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी तथा आपत्ति प्राप्त होने पर निर्णय हेतु प्राधिकार के आगामी बैठक में रखा जाएगा।
11	इस्तियाक आलम	BR11PD-1748 (बस) 06-01-2025 Cap-41	दिघलबैक से कटिहार कुल खेप–01 कुल दूरी–270	05-01-2027 29-09-2026 29-12-2026 12-01-2027	परमिट सं0–BR2025-SC-0830A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता–26. 03.2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
12	मृत्युंजय कुमार	BR11PA-6443 (बस) 11-05-2017 Cap-42	पूर्णिया से सहरसा कुल खेप-01 कुल दूरी-214	25-07-2026 26-07-2026 26-03-2027 29-07-2026	परमिट सं0- BR2022-SC-2485A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-20.11.2027 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
13	मो0 इफ्तखार आलम	BR11PC-0703 (बस) 07-12-2019 Cap-42	फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	14-07-2026 27-08-2026 24-03-2027 06-07-2027	परमिट सं0-BR2020-SC-0025A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-06.01.2025 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	विलंब शुल्क के साथ परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।
14	कुन्दन कुमार साह	BR38P-6843 (बस) 20-01-2025 Cap-41	मटियारी से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-384	19-01-2027 19-10-2026 19-01-2027 02-02-2027	परमिट सं0-BR2025-SC-2211A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-05.08.2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
15	अरूण कुमार	BR50P-6996 (बस) 23-07-2029 Cap-42	फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	16-06-2028 22-07-2026 02-03-2027 04-03-2027	(1) परमिट सं0-BR2025-SC-0502A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-02.03.2030 है। (2) वाहन. स्वामी का वर्त्तमान समय-सारणी में समय अंतराल कम रहने के कारण इसे रद्द करने तथा एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने हेतु समय देने का अनुरोध किया है।	वाहन स्वामी के अनुरोध पर उक्त समय-सारणी को रद्द किया जाता है तथा वाहन स्वामी को एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसे एक सप्ताह के लिए कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर आपर्त्ति की मांग की जाएगी आपत्ति प्राप्त प्राप्त नहीं हाने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी तथा आपत्ति प्राप्त होने पर निर्णय हेतु प्राधिकार के आगामी बैठक में रखा जाएगा।

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
16	निलेश कुमार चौधरी	BR11T-9102 (बस) 11-06-2015 Cap-43	फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	07-04-2027 08-09-2026 12-03-2027 14-03-2027	परमिट सं0- BR2021-SC-1947A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-02.09.2026 है। **(आपत्ति अप्राप्त।)**	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।
17	अश्वनी राज	BR39G-4220 (बस) 15-06-2011 Cap-41	फलका से कटिहार कुल खेप-01 कुल दूरी-64	31-03-2027 14-09-2026 29-06-2027 26-03-2027	परमिट सं0-BR2025-SC-0502A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-06.03.2030 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	**वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।**
18	राजीव कुमार	BR11PA-0675 (बस) 12-12-2015 Cap-42	पूर्णिया से त्रिवेणीगंज कुल खेप-02 कुल दूरी-380	11-05-2027 27-08-2026 05-02-2027 04-01-2027	परमिट सं0-BR2024-SC-0474A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-03.03.2029 है। (आपत्ति अप्राप्त।)	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।
19	मो0 नदीम	BR11PD-7221 (बस) 30-05-2026 Cap-41	फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	29-05-2028 25-08-2026 09-06-2027 29-05-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत
20	मो0 जलाल	BR11PD-6728 (बस) 15-04-2026 Cap-33	फतेहपुर से किशनगंज कुल खेप-01 कुल दूरी-186	14-04-2028 17-09-2026 17-03-2027 18-05-2027	(आपत्ति अप्राप्त।)	स्वीकृत

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
21	मुकेश कुमार चौधरी	BR11PD-3155 (बस) 17-10-2024 Cap-41	पिथौड़ा से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-01 कुल दूरी-300	16-10-2026 03-04-2027 06-10-2026 15-10-2026	आवेदक वाहन सं0-BR11PC-9455 पर अंकित समय-सारणी पर परमिट लेना चाहते है।	वाहन सं0-**BR11PC-9455** के वाहन स्वामी श्री राहूल कुमार द्वारा वाहन पुराना हो जाने के कारण इस पर अंकित समय-सारणी आवेदक के वाहन पर देने अनापत्ति का शपथ पत्र दिया है। उक्त के आलोक में वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
22	मुकेश कुमार चौधरी	BR11PD-4055 (बस) 06-09-2024 Cap-41	सिकटी से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-01 कुल दूरी-348	05-09-2026 27-08-2026 22-08-2026 08-09-2026	आवेदक वाहन सं0-BR11PC-9255 पर अंकित समय-सारणी पर परमिट लेना चाहते है।	वाहन सं0-**BR11PC-9255** के वाहन स्वामी श्री राहूल कुमार द्वारा वाहन पुराना हो जाने के कारण इस पर अंकित समय-सारणी आवेदक के वाहन पर देने अनापत्ति का शपथ पत्र दिया है। उक्त के आलोक में वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
23	सतीश कुमार यादव	BR39P-0559 (बस) 02-08-2024 Cap-43	कटिहार से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-256	07-07-2027 01-08-2026 18-02-2027 08-04-2027	वाहन सं0-BR39P0559 के वाहन स्वामी अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2021-SC-1163A का नवीकरण करने हेतु आवेदन समर्पित की गई है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक-29.06.2026 तक है।	वाहन स्वामी के अनुरोध पर परमिट सं0-**BR2021-SC-1163A** के नवीकरण की स्वीकृति दी जाती है।

क्र० स०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
24	रंजन यादव	BR11PA-6921 (बस) 18-04-2026 Cap-43	कटिहार से पूर्णिया कुल खेप-4 कुल दूरी-256	16-04-2028 28-07-2026 28-07-2026 17-04-2027	वाहन सं0-BR39PA-5029 के वाहन स्वामी श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी द्वारा अपने वाहन का पूर्व में प्रकाशित समय-सारणी से पूर्णिया प्रस्थान बिन्दु 13:18 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का भी पूर्व प्रकाशित समय-सारणी में पूर्णिया प्रस्थान-13:18 है।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता दोनों का परिचालन मार्ग कटिहार से पूर्णिया है। आपत्तिकर्ता द्वारा दिनांक-24.06.2026 को ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया है। जबकि आवेदक दिनांक-10.07.2026 को ऑनलाइन समर्पित किया है। आपर्तिकर्ता का आवेदन पुर्व का है तथा संशोधित समय-सारणी में पूर्णिया प्रस्थान-13:18 बिन्दु संशोधित नहीं कराया गया है। प्राधिकार के नियम अनुसार प्रारंभिक बिन्दू पर 04 मिनट का समय-अंतराल आवश्यक है। कटिहार-पूर्णिया मार्ग पर परिचालित बसों की संख्या, बसों के परिचालन के बीच वास्तविक समय-अंतराल आदि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया एवं कटिहार से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आगामी बैठक में उक्त वाहन के परमिट की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
25	मो0 नदीम	BR11PB-2090 (बस) 27-06-2018 Cap-42	फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	15-06-2028 26-09-2026 10-07-2025 11-06-2027	वाहन सं0-BR07PA-7156 के वाहन स्वामी श्री कुणाल कुमार यादव द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2026-SC-0561A से कटिहार प्रस्थान-07:26 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का भी कटिहार प्रस्थान-07:26 है।	दोनों वाहन का परिचालन मार्ग समान है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के नियमानुसार आवेदक को संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसे एक सप्ताह के लिए कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर आपत्ति की मांग की जाएगी आपत्ति प्राप्त प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी तथा आपत्ति प्राप्त होने पर निर्णय हेतु प्राधिकार के आगामी बैठक में रखा जाऐगा।
26	कमलेश कुमार कमल	BR37P-5762 (बस) 07-01-2025 Cap-45	दिघलबैंक से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-368	06-01-2027 29-09-2026 01-01-2027 18-02-2027	आवेदक द्वारा नया परमिट नही लेने तथा अपने पूर्व के परमिट पर परिचालन करने का अनुरोध किया है।	आवेदक के अनुरोध पर आवेदन रद्द की जाती है तथा आवेदन शुल्क व्ययगत माना जाऐगा।
27	विन्ध्यवासिनी देवी	BR39PA-5029 (बस) 06-03-2025 Cap-41	पूर्णिया से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	05-03-2027 04-09-2026 09-03-2027 02-03-2027	(i) वाहन सं0-BR11PD-5647 के वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र कुमार पांण्डे द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2026-SC-0419A से कटिहार प्रस्थान-11:12 एवं पूर्णिया प्रस्थान-13:18 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-11:15 एवं पूर्णिया प्रस्थान-13:15 है। (ii) वाहन सं0-BR11T-8689 के वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र कुमार पांण्डे द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2023-SC-2234A से कटिहार प्रस्थान-15:36 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-15:39 है।	**आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग समान है।** **(1.) आपत्ति सं0-I, II, III, IV एवं VI पूर्व से निर्गत परमिट से आपत्ति दी गई है उक्त मार्ग पर 70 बसों का परमिट निर्गत है। प्राधिकार के नियमानुसार 04 मिनट का आगे एवं पीछे का समय-अंतराल आवश्यक है।** **(2.) आपत्ति सं0-V आपत्तिकर्ता द्वारा दिनांक-10.07.2026 को ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदक द्वारा दिनांक-24.06.2026 को ऑनलाइन आवेदन दिया गया है। जो पूर्व का है अतएव आपत्ति स्वीकार योग्य नही है।**

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
					(iii) वाहन सं0-BR11PB-5938 के वाहन स्वामी श्री उज्जवल कुमार द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2024-SC-2180A से कटिहार प्रस्थान-06:25 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकार्त का कटिहार प्रस्थान-06:22 है। (iv) वाहन सं0-BR11PD-0834 के वाहन स्वामी श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2024-SC-2383A से कटिहार प्रस्थान-17:49 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का भी कटिहार प्रस्थान-17:50 है। (v) वाहन सं0-BR39PA-6921 के वाहन स्वामी श्री रंजन यादव दिनांक-10.07.2026 को ऑनलाइन आवेदित समय-सारणी से पूर्णिया प्रस्थान-13:18 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान 13:18 है। (vi) वाहन सं0-BR11PD-7425 के वाहन स्वामी श्री अजय कुमार द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2026-SC-1536A से कटिहार प्रस्थान-07:12 एंव पूर्णिया प्रस्थान-08:51 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-07:13 एवं पूर्णिया प्रस्थान-08:50 है।	**कटिहार-पूर्णिया मार्ग पर परिचालित बसों की संख्या, बसों के परिचालन के बीच वास्तविक समय-अंतराल आदि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया एवं कटिहार से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आगामी बैठक में उक्त वाहन के परमिट की स्वीकृति पर विचार किया जाऐगा।**

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
28	विन्ध्यवासिनी देवी	BR39PA-5028 (बस) 06-03-2025 Cap-41	कटिहार से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-256	05-03-2027 04-09-2026 11-03-2027 02-03-2024	(i) वाहन सं0-BR11PD-5645 के वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र कुमार पांण्डे द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2023-SC-2772A से पूर्णिया प्रस्थान-12:54 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-12:57 है। (ii) वाहन सं0-BR11T-8689 के वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र कुमार पांण्डे द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2023-SC-2234A से कटिहार प्रस्थान-17:26 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-17:29 है। (iii) वाहन सं0-BR39P-2177 के वाहन स्वामी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2024-SC-2003A से कटिहार प्रस्थान-14:03 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-14:06 है। (iv) वाहन सं0-BR11PD-0833 के वाहन स्वामी श्री रंजन यादव द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2025-SC-2079A से कटिहार प्रस्थान-14:03 पर आपत्ति	**आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग समान है। उक्त मार्ग पर 70 बसों का परमिट निर्गत है। प्राधिकार के नियमानुसार 04 मिनट का आगे एवं पिछे का समय-अंतराल आवश्यक है।** **कटिहार-पूर्णिया मार्ग पर परिचालित बसों की संख्या, बसों के परिचालन के बीच वास्तविक समय-अंतराल आदि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया एवं कटिहार से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आगामी बैठक में उक्त वाहन के परमिट की स्वीकृति पर विचार किया जाऐगा।**

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
					दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-14:01 है। (v) वाहन सं0-BR11PD-0834 के वाहन स्वामी श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2024-SC-2383A से कटिहार प्रस्थान-08:54 एवं पूर्णिया प्रस्थान-10:04 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-08:53 एवं पूर्णिया प्रस्थान-10:03 है। (vi) वाहन सं0-BR11PC-7645 के वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र कुमार पांडे द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0- BR2024-SC-1629A से कटिहार प्रस्थान-10:59 एवं पूर्णिया प्रस्थान-15:00 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-11:02 एवं पूर्णिया प्रस्थान-14:58 है। (vii) वाहन सं0BR11PA-9626 के वाहन स्वामी श्री धमेन्द्र कुमार चाँद अपने वाहन वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-3027A से कटिहार प्रस्थान-08:58 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता कटिहार प्रस्थान-08:57 है।	

कार्यावली सं0–05.(ख)

बिहार मोटरयान नियमावली, 1992 के नियम–101 के तहत प्राप्त एंजेन्ट अनुज्ञप्ति आवेदन का व्यौराः–

क्र0सं0	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क / चलान तिथि	चरित्र प्रमाण–पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
1	गोपाल कुमार यादव पिता– वासुदेव प्रसाद यादव ग्राम– बाकीया रानीचाक, पो0–बाकीया, थाना–बरारी, जिला–कटिहार।	447345602849	4500 / 25.07.2026	पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0–BCHC/2026/649369, दिनांक–06.06.2026.	सेमापुर, बस स्टेण्ड, जिला–कटिहार हेतु।	**स्वीकृत।**

कार्यावली सं0–06.

(1) श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डे, श्री आशीष कुन्दन, श्री डी. के. चाँद, एवं मो0 प्रवेज आलम द्वारा कटिहार–पूर्णिया मार्ग पर 04 मिनट का समय–अंतराल पर यात्री नहीं हो पाने, वाहन स्वामी आर्थिक संकट से जूझने, जान–बूझ कर दुसरे वाहन स्वामी द्वारा परेशान करने आदि का उल्लेख करते हुए उक्त मार्ग पर नयी परमिट निर्गमन बंद करने का अनुरोध किया है।

(2) श्री सुमीत कुमार, शोभा देवी, श्री सुजीत कुमार, स्नेहा रानी गुप्ता, श्री मनोज यादव, श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी द्वारा कटिहार–पूर्णिया पर 30–35 बसों का परिचालन होने के कारण 04 मिनट आगे–पीछे का समय–अंतराल नही रहने, कटिहार–भागलपुर मार्ग के विक्रमशीला सेतु क्षतिग्रस्त हो जाने, आदि के कारण कटिहार–पूर्णिया मार्ग पर समय–अंतराल कम कर प्रस्थान बिन्दु पर 03 मिनट आगे एवं 01 मिनट पीछे कर स्थायी परमिट निर्गत करने का अनुरोध किया है।

निर्णयः–

कटिहार–पूर्णिया मार्ग पर वर्त्तमान में 70 बसों का परमिट निर्गत है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के दिनांक–06.01.2026 को आयोजित बैठक की कार्यावली सं0–5(घ) 3(I) एवं 5(घ)(4) के अनुसार नया परमिट हेतु प्रारंभिक बिन्दु पर 04 मिनट आगे एवं पीछे तथा मध्य बिन्दु पर 02 मिनट का समय–अंतराल रखे जाने का प्रावधान है।

जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णिया एवं कटिहार से पूर्णिया–कटिहार मार्ग पर वर्त्तमान में परिचालित बसों के Capacity समय–अंतराल एवं अन्य से संबंधित प्रतिवेदन की मांग करें। संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव प्राप्त प्रतिवेदन संचिका के माध्यम से उपस्थापित करेगें।

कार्यावली सं0-06(क)

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 27.05.2026**के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-**

(क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के कुल-174 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।

(ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

इसके अतिरिक्त वाहनों के स्थाई परमिट पर विचार करते हुए प्राधिकार बोर्ड की बैठक में वाहन स्वामियों के लिए निम्नांकित शर्तो का पालन अनिवार्य रूप से करने पर निर्णय लिया गया :-

i. वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाना है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीट बस में अवश्य होनी चाहिए।

ii वाहनों में अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपातकालीन खिड़की/दरवाजा एवं प्राथमिक उपचार हेतु फस्ट एड की व्यवस्था अवश्य रूप से रहनी चाहिए।

iii वाहनों में ज्वलनशील पदार्थो/वस्तुओं का वहन नहीं किया जाना है।

iv सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के अधीन वाहनों में परावर्त्ती टेप (Reflective Tape) लगाना अनिवार्य है।

v वाहन में ड्राईवर का नाम/पता/मोबाईल नं0 चालक के बगल वाले दरवाजे पर लिखित रूप में होनी चाहिए।

vi यान का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गो पर ही किया जाएगा। मार्ग की जानकारी वाहन के दरवाजे पर हिन्दी के साथ-साथ उर्दू में भी अवश्य रूप से लिखित होनी चाहिए।

vii सवारी मोटर का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गो पर ही किया जाएगा।

viii क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित सवारीमोटर की समय-सारणी की प्रतियाँ यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अड्डों और विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी।

ix नगर पालिकाओं की सीमाओं के अंदर तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अंदर, जो विहित किये स्थान, यात्री या माल विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा।

x यानों के आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाये रखे जाएगे।

xi अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार ही किराए लिये जायेगें।

xii क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित यात्री किराया सारणी की एक प्रति या उसकी उद्धरण तथा विशिष्ट अवसरों के लिए ऐसे अनुमोदित कोई विशेश यात्री किरायों या यात्री किराया दारों की विशिष्टियाँ सवारी मोटर पर तथा विनिर्दिष्ट अड्डों तथा विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जायेगी।

xiii यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियो वाली टिकटें दी जायेगी तथा उनमें वह यात्री किराया दिखाया हुआ होगा, जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा।

xiv क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुमोदन के बिना परमिट के शर्त्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

xv क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कम से कम एक माह की सूचना देने के पश्चात् परमिट के शर्त्तों में परिवर्त्तन कर सकेगा तथा परमिट पर अतिरिक्त शर्त्तें लगा सकेगा।

xvi महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अशिष्ट भाषा, किसी धर्म/समुदाय विशेष को आहत करने वाले गाने एवं विडियों का प्रदर्शन/चालन बसों में नहीं किया जाएगा।

xvii व्यवसायिक समानों का लदान बसों पर नहीं किया जाएगा।

xviii कोई भी बस मालिक वैद्य एजेन्ट लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में बहाल नहीं करेगें।

xix प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी होगी।

xx प्रत्येक वाहन स्वामी बस/मिनी बस के दरवाजे पर प्राधिकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत भाड़े की दर को निश्चित रूप प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगें।

xxi सभी वाहन स्वामी वाहन के बॉडी के दायी एवं बायी तरफ बड़े एवं गहरे अक्षरों में पीली सतज पर काले रंग से परमिट संख्या एवं वैधता तिथि का स्पष्ट अंकण कराना सुनिश्चित करेगें।

xxii निर्दिष्ट नाम, वाहन सं0, समय सारणी आदि में यदि त्रुटि परिलक्षित होती है, तो कार्यालय में संधारित संचिका में दर्ज अभिलेख सही मानी जाएगी।

xxiii किसी वाहन स्वामी द्वारा गति सीमा का उलंघन कर प्रस्तुत समाय-सारणी आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राधिकार बोर्ड से स्वीकृति के उपरांत निर्गत होने के पश्चात भी कार्यालय को कोई आपत्ति प्राप्त होने पर आवेदक को विहित शुल्क के साथ संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करना होगा।

सभी स्वीकृत स्थायी परमिट वाहन स्वामी को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यार्पित करते हुए अपना स्वीकृत परमिट अद्यतन मान्य कागजातों, वाहन के आगे पिछे भाग के फोटों एवं शपथ पत्र के साथ एक माह के अंदर वाछिंत अधिभार एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कर आगामी बैठक से पूर्व निर्गत करवा ले। अन्यथा अगली बैठक में इसे रद्द किया जाएगा।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

30/7/24
(मुकेश कुमार मुकुल)
अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।

30/7/24
(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।

(दिनेश कुमार)
प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।

xxiii किसी वाहन स्वामी द्वारा गति सीमा का उलंघन कर प्रस्तुत समाय-सारणी आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राधिकार बोर्ड से स्वीकृति के उपरांत निर्गत होने के पश्चात भी कार्यालय को कोई आपत्ति प्राप्त होने पर आवेदक को विहित शुल्क के साथ संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करना होगा।

सभी स्वीकृत स्थायी परमिट वाहन स्वामी को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यार्पित करते हुए अपना स्वीकृत परमिट अद्यतन मान्य कागजातों, वाहन के आगे पिछे भाग के फोटों एवं शपथ पत्र के साथ एक माह के अंदर वाछिंत अधिभार एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कर आगामी बैठक से पूर्व निर्गत करवा ले। अन्यथा अगली बैठक में इसे रद्द किया जाएगा।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(मुकेश कुमार मुकुल)
अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।

(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।

(दिनेश कुमार)
प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।

ज्ञापांक 925 **दिनांक** 01-08-2026

प्रतिलिपिः- 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- 02. अपर समाहर्त्ता-सह-सदस्य, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।